POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–10 OCT 2024 AMBERNATH PAGE 1 OF 4 RS 5/-

न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा मीडिया का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचाना , प्रारंभ मे एक मासिक के रूप में शुरू, इस मासिक समाचार पत्र का मूल उद्देश्य है । पाठक अपना विचार हिन्दी या अंग्रेजी में बेहिचक दे सकते हैं । शर्त सिर्फ यह है कि विचार किसी भी तरह के , प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए ।

email id: vote1957@gmail.com

बदलापुर यौन शोषण के अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ में मौत पर बॉम्बे हाई कोर्ट का प्रश्न चिन्ह

हथकड़ीबंद अभियुक्त को पुलिस की गाड़ी में मुंबई के नजदीक तलोजा जेल से चार सशस्त्र पुलिस अधिकारियों की निगरानी में ठाणे कोर्ट में लाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि अभियुक्त को पानी पीने देने के लिए हथकड़ी से एक हाथ फ्री किया गया था। उसी वक्त उसने चार में से एक पुलिस वाले की पिस्टल छीन कर धड़ाधड़ तीन गोलियां चलाई जिसमें एक पुलिस कर्मी घायल हुआ है । इस स्थिति में पुलिस को बचाव में गोली चलानी पड़ी और अभियुक्त की मौत हो गई।

मृतक अभियुक्त के पिता ने हाई कोर्ट ने याचिका दायर की है जिसमें मुठभेड़ (Encounter) को झूठा बताया है।

याचिका की सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे तथा जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने पुलिस के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी तथा मामले की जांच निष्पक्ष तथा स्वच्छ कराने की बात कही। कुछ प्रश्न :-

1. चार प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी को अकेले अभियुक्त कैसे भारी पड़ा ?
2. गोली अभियुक्त को वश में करने के लिए चलाई जाती है, पहले पैर में चलाई जाती है। इस मामले में सीधे कनपट्टी या सर पर चलाई गई है, क्यों ?
3. एक मामूली व्यक्ति पिस्टल कैसे चला सकता है ? पिस्टल सामान्यत: लॉक्ड होता है। फिर पिस्टल चली कैसे ?
4. जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने कहा कि वे 100 बार पिस्टल चला चुके हैं।इसलिए उन्हें पता है कि पिस्टल चलाने में कितनी ताकत की जरूरत होती है ! एक मामूली व्यक्ति नहीं चला सकता है।
5. जज ने पूछा कि क्या अभियुक्त को हथकड़ी लगाई गई थी ?
6. अभियुक्त कोई मोटा तगड़ा आदमी नहीं था। आप लोग (पुलिस) उसको वश में कर सकते थे!
7. पुलिस अधिकारियों के फोन के कॉल डिटेल्स निकाला जाय !

कॉमरेड सीताराम येचुरी को भावभीनी श्रद्धांजलि

दिनांक 24 सितंबर 2024 को मुंबई के यशवंत राव चव्हाण सभागृह में सीपीआईएम के दिवंगत नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी के निधन के बाद आयोजित शोकसभा में इंडिया एलायंस के सभी घटकों के नेता तथा प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत नेता के बारे में अपने विचार तथा यादें साझा की !

उपस्थित लोगों में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष नाना पाटोले , शिवसेना (यूबीटी) के तरफ से सांसद अरविंद सावंत, महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी, सामाजिक कार्यकर्ते आनंद तेलतुमड़े, तीस्ता सीतलवाड़, पत्रकार कुमार केतकर, सीपीआई, सीपीआईएमएल (लिबरेशन), लाल निशान, आरपीआई , आम आदमी पार्टी तथा अन्य कई पार्टियों के नेता थे।

लंका चला वाम की ओर

श्रीलंका के इतिहास में वामपंथी पार्टी जेवीपी (Janata Vimukthi Peramuna) के नेता तथा मार्क्सिस्ट अनुरा कुमार दिसानायके का राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना साबित करता है कि वामपंथ आज भी विश्व मे एक वांछनीय पंथ है।

बंगलादेश की ही तरह श्रीलंका में भी कुछ वर्ष पहले वहां की जनता ने भरी प्रदर्शन के द्वारा वहां के राष्ट्रपति को पद त्याग करने पर मजबूर कर दिया था। बंगलादेश की जो तरह वहां के राष्ट्रपति को भी दूसरे देश में शरण लेना पड़ा था।

जनता के उसी गुस्से का परिणाम इस चुनाव में देखने को मिलता है।

दिसानायके का भरी बहुमत से विजयी होना बदलाव के प्रति जनता का मूड बताता है

विमानों में भी महिलाओं के लिए अलग सीट की व्यवस्था हो !

पुरुष तो पुरुष हैं ! बस या ट्रेन की तरह प्लैन में भी महिलाओं के साथ पुरुष यात्रियों का दुर्व्यवहार की खबरे, अक्सर आती रहती हैं । अभी हाल ही मे एयर इंडिया के एक प्लैन के अंदर एक नशे मे धुत यात्री द्वरा एक महिला यात्री पर पेशाब किए जाने की खबर आई थी । ज्यादातर दुर्व्यवहार शराब के नशे में करते हैं लोग। ज्ञातव्य है की विमानों मे भी अंतर्राष्ट्रीय विमानों में यात्रियों के लिए शराब पीने की भी इजाजत रहती है ।

अक्सर दो सीट के बीच मे, हाथ टेकने के सपोर्ट जो दोनों पड़ोसी यात्रियों को शेयर करने लिए होता है असहजता के कारण हो जाते हैं।

इस समस्या से निबटने के लिए प्लेन के अंदर क्रू एयरहोस्टेस नजर रखते हैं पर पर्याप्त नहीं है । समस्या का समाधान ढूँढना जरूरी है।

विश्व विनाश के कगार पर

लोकतांत्रिक इसराइल का फिलिस्तीन पर कहर तथा लोकतांत्रिक अमेरिका का सारे घटनाक्रम का नजरंदाज करना तथा लोकतांत्रिक भारत का दुविधा भरा स्टैंड विश्वयुद्ध को बुलावा देने जैसा लगता है।

उधर रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी विराम का नाम नहीं ले रही है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA United Nation General Assembly) द्वारा पारित युद्धविराम तथा इजरायल द्वारा फिलिस्तीन से वापसी के प्रस्ताव पर भारत अनुपस्थित रहा तथा वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया ।

विश्व शांति के लिए अहम भूमिका निभाता भारत फिलहाल कम पड़ता नजर आ रहा है।

इसराइल फिलिस्तीन की आग लेबनान तक फ़ैल चुकी है। ईरान भी अछूता नहीं रह सकता है।

फैक्ट चेक यूनिट का प्रावधान असंवैधानिक - बॉम्बे हाई कोर्ट

ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने आईटी नियमों में संशोधन किया था जिसके तहत एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने का प्रावधान था। इस यूनिट का काम था सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट को झूठा, जाली तथा भ्रामक (False, fake or misleading) पाए जाने पर उस पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाए जाने का प्रावधान था। इस संशोधन को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कुछ महीने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के दो जजों के एक डिवीजन बेंच ने खंडित फैसला (split verdict) दिया था। एक जज महोदय ने इस संशोधन को असंवैधानिक बताया था वहीं दूसरी जज महोदया ने इस संशोधन को सही ठहराया था।

डिवीजन बेंच में मतभेद के कारण मामला एक तीसरे जज महोदय के विचारार्थ सुपुर्द किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इन्हीं तीसरे जज महोदय ने आज फैसला सुनाया है कि फैक्ट चेक यूनिट का प्रावधान गलत है , असंवैधानिक है क्योंकि झूठा, जाली तथा भ्रामक (False, fake or misleading) jaise शब्द अस्पष्ट (Vague) हैं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है जो भारत के संविधान में निहित समानता, वैचारिक अभिव्यक्ति तथा व्यवसाय की स्वच्छंदता का उल्लंघन है।

ओडिशा के पुलिस स्टेशन में महिला के साथ दुर्व्यवहार

सेना के एक अधिकारी तथा उनकी मंगेतर ओडिशा के पुलिस स्टेशन में कुछ गुंडों की शिकायत करने गए थे। वहां पुलिस कर्मियों ने सैनिक अधिकारी तथा उनकी मंगेतर के साथ मार पीट तथा अभद्र व्यवहार किया।

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–10 OCT 2024 AMBERNATH PAGE 2 OF 4 RS 5/-

अतंत: केजरीवाल को भी जमानत

मनीष सिसोदिया की तरह या यों कहें कि सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य खंडपीठ द्वारा मनीष सिसोदिया को जमानत पर छोड़ते वक्त आयद की शर्तों को केजरीवाल के साथ भी दोहराई गई है कि केजरीवाल भी मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जायेंगे।

उक्त शर्त का तर्क क्या है मेरी समझ से परे है। सबूत गवाह से छेड़छाड़ नहीं करने जैसी शर्त तो समझ में आती है।

यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों वाली खंडपीठ में इस बात को लेकर मतभेद था कि सीबीआई द्वारा केजरीवाली की गिरफ्तारी सही थी या गलत, पर केजरीवाल को जमानत पर छोड़ने की बात पर जजों में कोई मतभेद नहीं था।

जस्टिस सूर्य कांत ने गिरफ्तारी को कानूनसम्मत बताया पर जस्टिस उज्जल भुयान ने गिरफ्तारी को सीबीआई की मनमानी बताया है तथा सीबीआई को नसीहत भी दी है।

जस्टिस भूयान ने कहा कि जब सीबीआई ने 22 महीने तक केजरीवाल को गिरफ्तार नही किया फिर अचानक गिरफ्तार करने की जरूरत क्योंकर आन पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसा ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद पर जमानत पर छूटने से पहले किया गया ताकि केजरीवाल को जेल से बाहर आने का मौका ही ना मिले।

जज साहब ने सीबीआई को वर्षों पहले एक जजमेंट में सीबीआई को एक "पिंजड़े का तोता" कहे जाने की बात दोहराई तथा सीबीआई को एक बिना किसी प्रभाव के काम करने को कहा।

जस्टिस भूयन ने इस शर्त को कि मुख्यमंत्री अपने दफ्तर नहीं जा सकते हैं को भी गलत बताया पर इस बारे में कोई आदेश पारित नहीं करते हुए मनीष सिसोदिया में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के समानांतर बेंच के फैसले के साथ जाना उचित समझा।

सुप्रीम कोर्ट को इस अवांछित शर्त के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए कि मनीष सिसोदिया या केजरीवाल को उनके कार्यालयीन कामकाज करने से क्यों मना किया जा रहा है।

चले ना जाने आंगन टेढ़ा

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ब्लातकार विरोधी कानून को लाया जाना समझ से परे है।

देश में पर्याप्त कानून हैं। निर्भया के बाद ब्लातकार या महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए अपराधिक कानूनों को सख्त बनाया गया था।

हत्या के लिए पहले से ही मृत्यु दंड का प्रावधान है।

जरूरत है तो ये कि मौजूदा कानूनों को ईमानदारी से , तत्परता लागू किया जाय। गिरफ्तारी जल्दी हो। जांच जल्दी हो। ट्रायल जल्दी हो। सजा जल्दी हो।

पर वस्तुस्थिति एकदम अलग है। अपराध होता है। अपराधी प्रभावशाली होने पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है। कोर्ट कचहरी या जन आंदोलन के प्रभाव में अगर एफआईआर दर्ज भी होता है तो गिरफ्तारी नहीं होती है। जांच में ढिलाई की जाती है। वर्षों या दशकों लग जाते हैं ट्रायल पूरा होने में। फिर अपील रिवीजन रिव्यू का दौर शुरू होता है। प्रभावशाली या सत्ता या राजनीति से जुड़े अपराधियों के बचने लिए जांच में कुछ सुराग छोड़ दिए जाते हैं तथा अपराधी न्यायालय द्वारा जमानत पर छूट जाते हैं बाद में बरी भी हो जाते हैं।

लंबे समय के स्थगन मूल जाते हैं। इससे भी प्रक्रिया बाधित होती है। जरूरत इन बीमारियों को दूर करने की है।

Very Sad !

Comrade Sitaram Yechury the CPIM General Secretary Is No More !

A very simple, sincere and forthright leader !

Heartfelt condolences and heartiest tribute to the departed soul !

सुप्रीम कोर्ट यूपी के अधिकारियों के झूठ से परेशान !

यूपी के जेल विभाग के प्रधान सचिव के झूठ पर झूठ बोलने से परेशान सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की प्रक्रिया शुरू की थी।

मामला एक कैदी के समय से पहल रिहाई के लिए याचिका के निष्पादन में विलंब का है। कैदी ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जेल अधिकारी से जवाब मांगा था।जवाब दिया गया कि चुनाव के चलते यूपी में आदर्श आचरण संहिता (Model Code of Conduct) लागू रहने के कारण सजा की अवधि कम करने (Remission) की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क गए क्योंकि उन्होंने आदेश में लिखा था कि इस अर्जी की सुनवाई में एमसीसी आड़े नहीं आएगा। बाद में यूपी के मुख्य सचिव के तरफ से जवाब दिया गया कि आदेश शायद ठीक से नहीं समझ पाने के कारण देरी हो गई।

इस तरह के जवाब से तंग होकर आज जजों ने बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधान सचिव को बख्श दिया पर यूपी सरकार पर 5 लाख का जुर्माना जरूर लगा दिया।

जजों ने कहा कि न्यायालय मामलों की बोझ से परेशान है। ऐसे मे ऐसे मामलों में जिम्मेवारी फिक्स करने में समय जाय करना उचित नहीं है। पर जजों ने अधिकारियों की कार्य पद्धति से अपनी अरासन्नता दो टूक जाहिर की।

बिगड़ता बिहार - दलितों ने महादलितों का घर जलाया

अबतक अगड़ों द्वारा पिछड़ों की उत्पीड़न की बातें होती थी । पर अब तो दलितों के आपसी रंजिश में भी इस तरह के कांड हो रहे हैं।

बिहार के नवादा जिले में मुसहरों तथा रविदासों के 21 घरों ,नहीं घर नहीं बल्कि घास फूस के बने झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा दी पसवानों ने।

ऐसा सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में हो रहा है।डबल इंजन सरकार है। एनडीए की ।

क्या ये शर्म की बात नहीं है कि:-

1. अब तक ये महादलित झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का पालन कहां हैं ?
2. उसमें भी इन दलित गरीबों के घरों को दूसरे दलित गरीब लोगों ने आग लगाकर उजाड़ दिया ?
3. क्या प्रशासन को इसकी कोई भनक नहीं थी ?
4. अगर भनक थी तो ये वारदात कैसे हुई ?
5. अक्सर खानापूर्ति के लिए गिरफ्तारियां जरूर होती हैं पर घटनाएं होती रहती हैं !

मतलब साफ है कि कानून का डर किसी को नहीं है ।

क्या सरकार मुस्तैदी से इन गरीबों के घर को बसाएगी तथा उन्हें अविलंब हर तरह से आर्थिक मदद देगी !

Fruits Of Tecnological Advancement Must Reach All

Technology is undoubtedly eating into the manual works world-wide. We must devise ways and means to accommodate those who are rendered redundant due to technical onslaught. This is evident in all the fields.

OLA and Uber are eating into the opportunity of rickshaw pullers or auto rickshaws or taxies drivers. Amazons , Flipcarts etc are posing threats for small traders or businesses. Eatables are also available at your doors making the life difficult for small hotels or eateries.

I do understand that technologies do bring with it various opportunities for employments as well but the proportion to those who are rendered surplus falls far short of.

Over and above all the competitions make the lives of many further more difficult and creates an uneven society.

The effect is for all of us to see that the rich are getting richer and the poor the poorer !

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–10 OCT 2024 AMBERNATH PAGE 3 OF 4 RS 5/-

बिहार सरकार द्वारा भू सर्वेक्षण

मेरी समझ से पूरे बिहार भर की जमीनों का सर्वे नए विवादों का पिटारा खोलने जैसा प्रयास लगता है ! अच्छा होता कि विद्यमान विवादों के निपटान पर ज्यादा ध्यान दिया जाता ।

बिहार में लोग मामूली दाखिल खारिज (Mutation) के लिए अंचलाधिकारियों (COs) के दफ्तरों का चक्कर काटते रहते हैं। जमीनों के डिजिटाइजेशन के लिए चक्कर काटते रहते हैं। लगान भरने के लिए परेशान रहते हैं।

इन बीमारियों को दूर करने का उपाय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को चुस्त - दुरुस्त तथा उत्तरदायी बनाना है।

संभवत: इन्हीं बीमारियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने इस बड़े कार्यक्रम भू सर्वे कराने का फैसला लिया है जिसके तहत लोगों से जमीन के स्वामित्व की स्वघोषणा की मांग की गई है , अगर पुश्तैनी जमीन मौजूदा पीढ़ी के नाम नहीं हो पाई है तो वंशावली जमा करना है। ऑनलाइन भी इन्हें जमा किए जाने की सुविधा बताई जा रही है।

कंप्यूटर निरक्षर आबादी में कितने लोग इसका लाभ ले पाएंगे ये देखने वाली बात होगी।

ऐसे में आपत्तियों की भरमार होगी ही। इन आपत्तियों की सुनवाई होंगी, फैसले होंगे, अपील होंगी, कोर्ट कचहरी होगी। अमीर लोग हाईकोर्ट , सुप्रीम कोर्ट तक जायेंगे। गरीब या मजबूर लोग हमेशा की तरह अन्याय को ही न्याय मान कर सब्र करते रहेंगे।

जाहिर है सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों , कर्मचारियों का बोझ बढ़ेगा। अमीन आदि पहले से ही जमीन की मापी कर के विवादों को सुलझाने के बजाय उलझाने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। बिहार की अफसरशाही भी मामलों को लटकाते रहने के लिए जानी जाती है।

आम लोग विशेषकर गरीब लोग कमजोर लोग दफ्तरों का, अपीलों का, न्यायालयों का महीनों वर्षों चक्कर लगाते रहेंगे। वकीलों को भी धंधा मिलेगा ।

नेताओं या बिचौलियों को नया धंधा मिलेगा जनता का हितैषी बनने का तथा उनसे पैसा ऐंठने का,तरह तरह के बहाने बना कर।मामूली प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्ध पेंशन योजना , शौचालय निर्माण के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए भी हजारों रुपए देने पड़ते हैं भ्रष्ट तरीके से।

ऐसे मे बिहार सरकार का यह बड़ा कार्यक्रम भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे हो सकता है।

बुलडोजर राज नहीं चलेगा - सुप्रीम कोर्ट

आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से घरों को गिराये जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के अभियुक्त होने पर या यहां तक कि दोषी होने पर भी उसका घर कैसे गिराया जा सकता है ! हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत निर्माण को कानून के अनुसार कानून का पालन करते हुए गिराया जा सकता है ।

बहुत सारे बुलडोजरों से घरों को गिराए जाने के मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे बुलडोजर राज पर अंकुश के लिए अखिल भारत स्तर पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके लिए सभी पक्षों से इस संबंध में अपने सलाह देने को कहा है।

अब प्रश्न ये है कि बुलडोजर चलाने वाले भी तो कह ही रहे हैं कि वे लोग नियमों का पालन करते हुए ही घरों को गिराते हैं।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश जारी करने के साथ साथ नियमों के खिलाफ बुलडोजर चलाने वालों के खिलाफ अपराधिक मामले चला कर शीघ्र तथा सख्त सजा दिलाने के लिए भी आदेश देना चाहिए ! मुझे विश्वास है सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा !

गलत ढंग से गिरफ्तार लोगों को मुआवजा मिले तथा जांच एजेंसियों को सजा मिले

जरा सोचिए ! किसी को अकारण जेल में डाल दिया जाय प्रतिबन्धक कानूनों के तहत जिनमें बेल के प्रावधान को कठिन बना दिया गया हो, और महीनों तक चार्जशीट फाइल ना हो, महीनों ही नहीं वर्षों तक ट्रायल शुरू ना हो और जब मामला जजों की स्क्रूटिनी में आए और जज साहब का फैसला आत्मा को झकझोर देने वाला हो ये कहते हुए कि मामले में कोई दम ही नहीं है, आधार नहीं है, कोई गवाह नही, कोई सबूत नहीं, गवाह और सबूत जुटाने का सच्चा प्रयास भी नहीं किया गया है जांच एजेंसियों की ओर से -- तो जेल में पड़े हुए उस व्यक्ति के दिल पर क्या बीतता होगा !

वैसे इस तरह की बातें तो अनादि काल से होती आई है। पर हाल के वर्षों में इस तरह के मामले कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं।

डेढ़ दर्जन के करीब लोग भीमा कोरेगांव एलगार परिषद वाले मामले में आज करीब दो से तीन वर्षों से जेल में हैं। स्टेन स्वामी जैसे एक बुजुर्ग की तो इस अनुचित व्यवस्था ने जान भी ले ली। पर आज तक किसी को ये पता नहीं है कि इन लोगों की गलती क्या है।

एक बड़ा आसान सा आरोप है - व्यापक/बड़ा षड़यंत्र (larger conspiracy) जिसमें किसी को भी उसके वक्तव्यों को, भाषणों को,लेखों को तोड मरोड़ कर हजारों पेज वाले आरोप पत्र बनाए जा सकते हैं। जिसको पढ़ते समझते वर्षों लग जाएंगे। उसके बाद आरोपी अगर छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है आरोप लगाने वालों पर या जांच करने वालों पर।

फर्क तो उस हतभागा के लिए पड़ता है जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है जेल में रह कर।नौकरी चली जाती है।व्यवसाय या धंधा चौपट हो जाता है।पारिवारिक या सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।

छत्तीसगढ़ के बिनायक सेन को वर्षों जेल में रहने का बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।आज तक क्या हुआ उनके मामले का - किसको क्या पता !डॉक्टर कफील खान महीनों जेल में रहे, नौकरी से सस्पेंड रहे। बाद में राहत जरूर मिली।पर उस व्यक्ति की तकलीफ एक संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है।

क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवी जैसी एक छोटी बच्ची को बैंगलोर से ले जा कर दिल्ली में जेल में रखा गया था टूलकिट वाले मामले में। जज साहब की फटकार की किसको पड़ी है।

जज साहबों की फटकार से आज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले थोड़ी शर्म तो आती थी सरकारों को या अधिकारियों को।

देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, इकबाल आसिफ तन्हा को भी महीनों जेल में रखा गया। इन्हें जमानत पर छोड़ते हुए जज साहब के जजमेंट ने केंद्र सरकार के लिए थोड़ी परेशानी जरूर पैदा की थी।सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है सरकार ने इस फैसले को।

केरल के पत्रकार कप्पन अभी भी मथुरा जेल में है। कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि आरोप क्या है सिवाय हमेशा की तरह ये कि ये एक बड़े षड़यंत्र के हिस्सा है।तब्लीगी जमात के दर्जनों लोगों को मुंबई हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों पर विपरीत टिप्पणी करते हुए रिहा किया जमानत पर।

सीएए के विरोध में आंदोलन करने वालों के साथ भी इसी तरह की परेशानी पेश आई है।आंदोलन शुरू होने के पहले ही 1448. धारा लगा दी जाती है तथा सबको उसी के तहत गिरफ्तार किया जाता है।

कल दिल्ली के एक कोर्ट के जज साहब ने दिल्ली दंगों के तीन आरोपियों को रिहा करते हुए बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की है जांच एजेंसियों के काम करने के ढंग पर। पर सरकार को या अधिकारियों को क्या फर्क पड़ता है इसका !इस तरह के उदाहरण अनेकों मिल सकते हैं। मुझे जल्दी से जितना याद आया उतना मैंने उदाहरण के तौर पर गिना दिया है।

करीब करीब सारे मामले कोर्ट के संज्ञान में आते ही धराशाई हो जा रहे हैं। इसलिए वाजिब तो यही है कि जिन व्यक्तियों को बिना किसी गलती के हफ्तों, महीनों या वर्षों जेल में रखा गया है उन्हें उचित मुआवजा (compensation) दिया जाय ताकि उनमें व्यवस्था के प्रति कुछ ना कुछ विश्वास बरकरार हो। उसके साथ ही जांच एजेंसियों तथा उनके आकाओं को भी जवाबदेह बनाकर दण्डित किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के निवृत जज जस्टिस मदन लोकुर का भी यह कहना है कि गलत ढंग से गिरफ्तार लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान होना चाहिए ।

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–10 OCT 2024 AMBERNATH PAGE 4 OF 4 RS 5/-

Miscellaneous

From X/Twitter

Rahul Gandhi, LOP

मोदी जी गरीबों की जेब से 'तूफान' की तरह पैसा निकाल कर, 'सुनामी' की तरह अडानी जी की तिजोरी में डाल रहे हैं। मेरा लक्ष्य है - जितना पैसा उन्होंने अपने 'मित्रों' को दिया है, उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के गरीबों, शोषितों और वंचितों को दूंगा।

Narendra Modi, PM India

Delighted that Shri Mithun Chakraborty Ji has been conferred the prestigious Dadasaheb Phalke Award, recognizing his unparalleled contributions to Indian cinema. He is a cultural icon, admired across generations for his versatile performances. Congratulations and best wishes to him.

Arvind Kejriwal, Former CM, Delhi

उन्होंने मुझे जेल भेजकर दिल्ली के काम रोक दिए थे। सड़कें भी ख़राब हो गईं। उनका यही मक़सद था। आज मैंने मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सड़क का निरीक्षण किया। इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा, दिल्ली की बाक़ी सड़कों को भी जल्द ठीक कराया जाएगा। अब मैं वापस आ गया हूँ, दिल्ली के लोग चिंता ना करें। दिल्ली के सभी रूके हुए काम कराएँगे।

Amit Shah, Home Minister , GOI

पिछड़ों, दलितों और महिलाओं का अपमान करने वाली, और युवाओं से उनका हक छीनने वाली कांग्रेस के सपने इस चुनाव में फिर से बिखरने वाले हैं। हरियाणा के लोग एक बार फिर भाजपा को ही लाने वाले हैं। इस अपार समर्थन के लिए इंद्री की जनता का आभार।

Sudheendra Kulkarni, Journalist

No word about India's support to freedom for Palestine, formation of a Palestinian State, and a Two-State solution as mandated by the UN. Hyposcrisy!

Ravish Kumar, Journalist

शुक्रिया कुणाल @kunalkamra88

लोगों की हंसी बंद होने से बचाने के लिए। अपने पेशे को दांव पर लगा कर आपने कितने ख़तरे उठाए। सबके लिए यह लड़ाई लड़ी। आपके वकील Seervai का भी शुक्रिया। IT नियमों संशोधन असंवैधानिक माना गया है। इसके लिए आप सभी कुणाल कामरा को बधाई दे सकते हैं। चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक माना गया। चुनाव के बाद बिना दोष साबित हुए किसी के घर पर बुलडोज़र चला देना भी असंवैधानिक माना गया। असंवैधानिक कार्यों की पूरी सूची बन सकती है।

Akhilesh Yadav, SP Chief

ये है प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का वीभत्स चेहरा। भाजपा बसे-बसाये घरों को गिराकर सुख पाती है। जिन्होंने अपने घर नहीं बसाये, पता नहीं वो दूसरों के घर गिराकर किस बात का बदला लेते हैं। हर गिरते घर के साथ भाजपा भी और भी नीचे गिर जाती है। अमृतकाल के सूचनार्थ : आज लोकसभा फर्रुखाबाद के विधानसभा अमृतपुर के ग्राम उखरा में सालों से बसे 25 ग़रीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर, न जाने कितने बड़े-बूढ़ों, बीमारों, बच्चों, माताओं, बहनों, बेटियों को भरी बरसात में बेघर किया गया। ये राजनीतिक क्रूरता की हद है।

Teaswi Yadav, RJD Leader

स्मार्ट मीटर पर NDA सरकार हमारे सवालों का जवाब दें! देशभर में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में स्मार्ट मीटर लगा बिजली दरों को दोगुना कर एवं सबसे महँगी बिजली बेच नीतीश-भाजपा सरकार बिहारवासियों पर अत्याचार कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही सरकारी लूट से हर बिहारवासी त्रस्त है।

1. लगभग शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं का ऐसा क्यों मानना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिजली बिल दोगुना या डेढ़ गुणा बढ़ा है? पूरे बिहार से शिकायतें आ रही हैं कि बिजली का बिल डबल हो गया है। सरकार बतायें कि ऐसा क्यों हो रहा है?

2. स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी होने के कारण अगर यह मान लिया जाए कि हर घर से केवल ₹100 का ही फर्जीवाडा हो रहा है तो नीतीश सरकार बिहार भर के उपभोक्ताओं से हर महीने हजारों करोड़ रुपए की अवैध राशि वसूल रही है।

3. स्मार्ट मीटर मुद्दा हर घर से जुड़ा हुआ है और हर घर से स्मार्ट मीटर के विरुद्ध आवाज आ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली कंपनियों, अधिकारियों और सत्तारूढ़ नेताओं की जो मिलीभगत है उसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।

4. बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशनऔर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के ग़ज़ट में स्मार्ट मीटर लगाने की कोई बाध्यता नहीं है तो फिर सरकार किसके फ़ायदे के लिए ऐसा कर रही है?

5. बिहार का इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर Outdated है। उपभोक्ता कहता है कि मीटर Fast है, सरकार कह रही है कि Meter Fast नहीं है तो यह निर्णय कौन करेगा कि मीटर तेज है या नहीं? गड़बड़ी करने वाला विभाग ख़ुद ही कह रहा है कि सब ठीक है। हमारी माँग है कि इस मुद्दे के निपटारे के लिए कोई निष्पक्ष कमेटी होनी चाहिए।

6. बिहार में 2 करोड़ बिजली उपभोक्ता है इसमें से केवल 50 लाख उपभोक्ताओं ने ही स्मार्ट मीटर लगवाया है। नए मीटर लगाने से पूर्व सरकार को पहले वर्तमान 50 लाख उपभोक्ताओं की शंकाओं, संदेहों को दूर कर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए।

7. सरकार की बिजली कंपनियों के साथ क्या साँठ-गाँठ है? क्या मीटर का Calibration (मापांकन) गलत नहीं हो सकता है?

8. क्या बिजली मंत्री के सुपौल घर में स्मार्ट मीटर है? है तो कब लगा? कितने माननीय और अधिकारियों के सरकारी तथा व्यक्तिगत आवास पर स्मार्ट मीटर लगा है?

9. पिछले 20 वर्षों में तीन बार मीटर बदला जा चुका है, हर बार मीटर बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मीटर वाली कंपनियां, बिल वसूलने वाली एजेंसियां, सत्तारूढ़ जदयू नेताओं तथा अधिकारियों के बीच कोई कमर्शियल रिश्ता है?

10. स्मार्ट मीटर के इंस्टालेशन का जो चार्ज है वह बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से पहले के दो या तीन महीने में वसूलती हैं लेकिन बताती क्यों नहीं है? 200₹ के मीटर पर उपभोक्ताओं से मीटर की कुल कितनी लागत वसूली जाती है?

11. अगर तथाकथित स्मार्ट मीटर सचमुच स्मार्ट है तो इसका यूजर इंटरफेस और सिस्टम इतना धीमा और खराब क्यों है कि हर जगह असमंजस, परेशानी, जानकारी का अभाव और पैसों का इधर-उधर हो जाना होता है? और इस परेशानी के कारण और अधिक वसूली तथा भ्रष्टाचार होता है।

12. प्रीपेड स्मार्ट मीटर के इंटरफेस और सिस्टम में इतनी गड़बड़ और खराबी क्यों है कि पब्लिक को मालूम ही नहीं पड़ता है कि उनका पैसा कहां चला गया? कितना पैसा बचा हुआ है, बिजली उपभोक्ताओं को यह भी पता नहीं चलता कि उनकी राशि कहां कट रही है और क्यों कट रही है और किस दर से कट रही है?

13. उपभोक्ताओं को पैसे के लिए तो मैसेज आता है लेकिन जब पैसा जमा किया जाता है तब पैसा मिला या नहीं इसका कोई मैसेज नहीं आता है। कब बिजली कनेक्शन कटने वाला है या कितनी कम राशि बची हुई है इसका भी कोई मैसेज नहीं आता है? पैसा आ गया है जल्दी ही बिजली वापस आ जाएगा इसका भी कोई मैसेज नहीं आता है। नया रिचार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो पुन: बिजली शुरू होने में घंटों क्यों लगते है? कुछ भी रियल टाइम अपडेट नहीं होता है और पूछताछ करने पर कोई यह बात बताता ही नहीं है और ना ही किसी के बिल में यह बात स्पष्ट जाहिर होती है। इन सब कारणों से उपभोक्ता हमेशा परेशान ही रहता है।

Printed, published and owned by Harishankar Upadhyay and printed and published at Flat 15B, Jeevan Jyot, Bhidewadi, Kansai Section, Ambernath (East), Dist Thane (Maharashtra), PIN 421501. Editor Harishankar Upadhyay, Mobile 9869435995